l[;k&4435 @N%&i0&14&06&50¼7½@2006

i"kd]

uohu pUn ckt ib]
e[; lfpo]
mRrj in'k 'kkluA

lok e]

1- leLr ie[k lfpo@lfpo]
mRrj in'k 'kkluA
2- ifyl egkfun'kd]
mRrj in'kA
3- leLr foHkkxk/;{k]
mRrj in'k y[kuÅA
4- vk;Dr@ftykf/kdkjh@
mRrj in'kA
5- leLr ofj"B ifyl v/kh{kd@ifyl v/kh{kd]
mRrj in'kA

xg¼ifyl½ vuHkkx&14

y[kuÅ% fnukd% 02 uoEcj] 2006

fo"k;%& **<u>in'k e ekfQ;k xfrfof/k;k ij jkd yxku gr ekx&n'kd fl)kUrA</u>**

<u>egkn;]</u>

mi;Dr fo"k; ij e> ;g dgu dk fun'k gvk g fd fjV ;kfpdk l[;k&5153¼,e,l½@2005 Hkkyk ukFk fu"kkn cuke mRrj in'k jkT; ,o vU; e ikfjr fu.k; ,o vkn'k fnukd 12&7&2006 e fn; x; fun'kk d vuikyu e jkT; ljdkj Onkjk lE;d fopkjkijkUr] tc rd bl fufeRr jkT; ljdkj Onkjk dkbZ vf/kfu;e vFkok fu;ekoyh dk i[;kiu ugh fd;k tkrk] rc rd in'k e ekfQ;k xfrfof/k;k ij vd'k yxku d mnn'; l fuEuor ekx n'kd fl)kUr fu/kkfjr fd; tkr g rFkk lo lEcfU/kr l bud dBkjrk l vuikyu dju dh vi{kk dh tkrh gA rnulkj vujk/k g fd lHkh lEcfU/kr ekeyk e uhp mfYyf[kr fcUnvk d vulkj dk;okgh lfuf'pr dh tk; %&

1& lkekU; :i l ekfQ;k lxBuk@ekfQ;k Onkjk jktdh; dk;k dk vucU/k ikIr dju gr lEHkkfor fufonknkrkvk@uhykeh e Hkkx yu okyk dk /kedh nuk ,o fufonk ii= d; dju l jkduk vkfn jhfr gk xbZ gA ,lh oLrfLFkfr dk jkdu d fy; leLr 'kkldh; foHkkxk] v) 'kkldh; fudk;k@lLFkkvk] jkT;k/khu LFkkfir Lok;Rr'kklh lLFkkvk] 'kkldh; fuxek] ikf/kdj.kk@vfHkdj.kk vkfn Onkjk tkjh fd; tku oky fuek.k@fodkl o vU; dk;k d Bdk ftudk eY; :i; 1-00 yk[k l vf/kd gk] mUg 'kkldh; oc&lkbV ij miyC/k djkr g; fufonk Qke dk bUVjuV d ek/;e l MkmuykM dju ,o mUg vku ykbu ¼byDVkfudyh½ tek dju dh lfo/kk miyC/k

djkb tk; rkfd V.Mj ifd;k e mi;Dr fufonkdrkvk dh vf/kdkf/kd l[;k gkA ;g lfo/kk oreku e i;Dr gk jgh 0;oLFkk d lkFk&lkFk vfrfjDr :i l dh tk;A

,l iR;d ljdkjh dk; ftudh ykxr :0&2]00]000-00 ;k mll vf/kd dh gk] l lEcfU/kr ljdkjh Bdk vFkok fufonk dk jkT; ljdkj d lHkh foHkkx vFkok mldh LFkkuh; bdkb;k ,o fuxek 0nkjk rc rd Lohdkj u fd;k tk; tc rd vk;dj foHkkx] 0;kikj dj foHkkx] lEcfU/kr fty d ftyk eftLVV ,o ifyl v/kh{kd 0nkjk vukifRr iek.k i= fufonk nkrk d i{k e fuxr u fd;k x;k gkA blh Hkkfr ,lk dkb Bdk Hkh Lohdr u fd;k tk; tc rd lEcfU/kr Bdnkj 0nkjk tuin d ofj"B ifyl v/kh{kd@ifyl v/kh{kd 0nkjk inRr pfj= iek.k i= ,o ftyk eftLVV 0nkjk inRr lEcfU/kr Bdnkj dh iLrkfor lfonkxr dk; dk dju dh vkfFkd {kerk ,o io ,o ipfyr lrk"ktud xfrfof/k;k lEcU/kh iek.k i= fu/kkfjr ik:i e iLrr u fd;k tk;A bu iek.k i=k dk lEcfU/kr ifyl v/kh{kd@ofj"B ifyl v/kh{kd ,o ftykf/kdkjh 0nkjk viu Lo; d gLrk{kj d v/khu tkjh fd; tk;xA rRlEcU/kh ik:i dk fu/kkj.k 'kklu Lrj ij fd;k tk;xk rFkk lHkh tuinks e leku :i l ykx gkxkA ,rnFk ukMy foHkkx ykd fuek.k foHkkx gkxkA

2& fufonk ii=k dk [kkyu dh ifd;k ,o dk;okgh ,o i.kr;k ljf{kr@dUnh; LFky ;Fkk dyDVV e dh tk;A fufonk ii=k dk [kkyu d le; lEcfU/kr LFky ij i;klr ifyl 0;oLFkk gk tk u doy ogk rukr gk] vfir vko';drk iMu ij Rofjr dk;okgh dju e l{ke ,o r;kj gkA

3& Bdnkjk dk inku fd; tku oky lkYoUlh ¼foRrh; fLFkfr½@pfj= lR;kiu dh oreku 0;oLFkk mnn';ghu gk xb gA vr% Bdnkjk dh foRrh; fLFkfr d vkdyu ,o mUg fn; tku oky pfj= iek.k i= dh vkj xgjkb l tkp dju d mijkUr gh ,l iek.k i= fn; tk;A ,l iek.k i=k dk fuxr dju l io lEcfU/k 0;fDr@lxBu l lEcfU/kr ifyl vfHky[kk dk xgjkb ,o l?kurk l ijh{k.k fd;k tkuk vfuok; gA ftu vf/kdkfj;k@depkfj;k 0nkjk bl fufeRr =fVi.k vFkok vlR; iek.k i= fuxr fd; tk; mud fo:) dBkj dk;okgh dh tk;A bld vfrfjDr rF;k dk fNiku d idj.kk e Hkh ;Fkkfpr ,o dBkj dk;okgh dh tk;A

4& fufonk vkfn l lEcfU/kr leLr lpuk; ljdkjh co&lkbV ij miyC/k djkb tk;A bu co&lkbVl ij dkyh lph e vfdr Bdnkjk@ekfQ;kvk dh lph Hkh miyC/k djkb tk; rkfd ,l rRok d Hkfo"; e fufonk ii= Hkju ,o Bdk nu dh ifd;k e lfEeyr gku l jkdk tk ldA

5& vudk lEHkkfor Bdnkjk 0nkjk Qth ,o xyr vkfFkd fLFkfr@lkYoUlh lVhfQdV iLrr fd; tkr gA db ckj ,d gh lkYoUlh lVhfQdV dk db V.Mjk e i;kx fd;k tkrk gA ,l dN iek.k i=k dh fo'k"kK ,tUlh l le;≤ ij tkp djkb tkuh pkfg;A bu lkYoUlh lVhfQdV dk cd ,o vk;dj foHkkx l Hkh if"V djkb tkuh pkfg;A

6& dUnhf;r :i e Bdk ,o Bdnkjk dh vkfFkd fLFkfr dk fooj.k byDVkfudyh j[kk tkuk pkfg; ftll budh if"V ,o dkl pfdx leLr foHkkxk 0nkjk dh tk ld ,o fofHkUu idkj dh fufonkvk dk vklkuh l dk;kfUor djk;k tk ldA

7& iR;d ljdkjh vucU/k i= e bl vk'k; dk ,d dkye gkuk pkfg; ftle ;g ikfo/kkfur gk fd fdlh Hkh Bdnkj dk Bdk n fn; tku d ckn Hkh ;fn ;g lKku e vkrk g fd lEcfU/kr Bdnkj@0;fDr lfd; :i l ekfQ;k xfrfof/k;k] vlkekftd dk;k ,o lxfBr vijkf/kd xfrfof/k;k e fylr g rk ml inku fd;k x;k vucU/k vFkok iVVk ;k Bdk fujLr dj fn;k tk;xkA fujLrhdj.k l io dkj.k crkvk ukfVl vo'; nh tk;A

8& iR;d ljdkjh Bd dh lfonk d vucU/k i= e bl vk'k; dk ikfo/kku fd;k tk; ftle lEcfU/kr Bdnkj dk Bdk vFkok iVVk fujLr dju dh 0;oLFkk mu ifjfLFkfr;k e gk tc lKku e vk; fd lEcfU/kr Bdnkj 0nkjk lEHkkfor fufonkdrkvk dk /kedh nh xb gk vFkok mUg fufonk ifd;k e Hkkx yu ,o V.Mj Mkyu l jkdk x;k gkA fQj ,l vucU/k dk fujLr dj iu% fufonk ekxu dh 0;oLFkk dh tk;A tgk rd lHko gk fufonk d le; fufonknkrkvk dh Hkkfrd mifLFkfr dk vfuok; u fd;k tk; vkj b&ey] jftLVM Mkd vFkok vU; byDVkfud ek/;e l fufonk ckyh if"kr fd; tku dh NV gkA

9& ;fn lEHkkfor fufonknkrk 0nkjk bl vk'k; dh f'kdk;r dh tk; fd ml fufonk ifd;k e Hkkx yu l jkdu d fy; ifj.kke Hkxru dh /kedh nh xb gk rc ftyk i'kklu vFkok jkT; ljdkj 0nkjk ml mfpr le; d fy; rjUr lj{kk miyC/k djkb tk; ,o ,l idj.kk dh iFke lpuk fjikV vfdr dj foopuk o fof/k lEer dk;okgh djkb tk;A

10& ;g lfuf'pr fd;k tk; fd tk 0;fDr viu l'kL= lj{kk dkfe;k d lkFk fopj.k djr gk mUg ifyl lj{kk miyC/k u djkb tk;A blh Hkkfr tk 0;fDr ,d LFkku ij ,d= gk vFkok l;Dr :i l fopj.k djr g vkj mUg 'kkldh; lj{kk ikIr gk rk ,l 0;fDr 'kL= ykblUl iku d gdnkj ugh eku tk;x vkj ftyk eftLVV dk ,l 0;fDr;k dk inRr 'kL= ykbll dk fujLr dju dk vf/kdkj gkxkA

11& ,l leLr 0;fDr;k tk iR;{k vFkok viR{k :i l vijkf/kd xfrfof/k;k e fylr ik; tk;] pkg o tuifrfuf/k gk vFkok ,l 0;fDr fdru Hkh egRoi.k D;k u gk] dk ifyl lj{kk ugh nh tkuh pkfg;A

12& 0;fDrxr l'kL= lj{kk] tk turk d e/; Hk;@vkrd ink dj vFkok fdlh dk /kedku d fufeRr gk] d lkFk okguk d dkfQy e Hke.k vFkok vkokxeu dh vuefr ugh nh tk;xhA

13& lkekU; :il iR;d Fkku e x.Mk dh lph r;kj dj j[kh tkrh gA x.Mk dh lph d lkFk&lkFk iR;d Fkkuk {k=kUrxr ekfQ;k rRok dh lph Hkh r;kj dj j[kh tk;xh ,o bl lph dk lkekU; turk d mi;kxkFk byDVkfud ekhfM;k rFkk ifyl ,o xg foHkkx d ljdkjh oc&lkbV ij j[kk tk;A

14& ty ifjlj l ekckby Qku vFkok vR;f/kd l[;k e feyu vku oky 0;fDr;k d ek/;e l vkijkf/kd lkekT; pyku oky ekfQ;kvk ,o bl gr mRrjnk;h vf/kdkfj;k@depkfj;k l fo:) dBkj dk;okgh dh tk; rFkk ;g lfuf'pr fd;k tk; fd ty ifjlj ,l fd;kdykik d fy; dnkfi i;Dr u fd; tk ldA

15& ;g n[ku e vk;k g fd U;k;ky; e i'kh d nkjku ekfQ;k rRok 0nkjk viu ?kj vFkok vU; LFkkuk dk Hke.k fd;k tkrk g ,o gQrk olyh rFkk vU; vijkf/kd xfrfof/k;k e fylr gkr gA bu xfrfof/k;k ij vd'k yxku d fy; bud U;k;ky; e

mifLFkfr gr ohfM;k dkUQfl x lfo/kk fodfl r dh tk; rkfd ,l d[;kr ,o fpfUgr ekfQ;k ty ifjlj l ckgj vkdj vijkf/kd xfrfof/k;k e fyIr u gk ldA

16& tyk e cUn ekfQ;k rRok dh lHkh fpfdRlh; vko';drkvk dh ifr ty d fpfdRlky; l rFkk ty ifjlj d vUnj gh dh tk;A vLirky ,o efMdy dkyt vFkok vU; fpfdRlh; lLFkkuk d ikboV ,o lfo/kki.k okrkoj.k e bykt djku dh iFkk ij iHkkoh vd'k yxk;k tk; rFkk ;g lfuf'pr fd;k tk; fd bl lfo/kk dk n:i;kx u fd;k tk ldA

17& ekfQ;kvk dk ijh{k.k ty ifjlj e gh QkLV Vd dkV 0nkjk fd;k tk;A

18& vigj.k ,o fQjkrh d fy; fd; tku oky lxfBr vijk/kk dh iR;d ?kVuk dk fooj.k lEcfU/kr ifyl vf/kdkjh 0nkjk lEcfU/kr Fkkuk/;{k dh lok ifLrdk e vfdr dh tk;xhA bl gr lok ifLrdk e ,d dkye c<k;k tk;A vigj.k ,o fQjkrh d fy; fd; tku oky vijk/kk dk jkdu e vlQy jgu ij lEcfU/kr Fkkuk/;{k dk mld in l gVk;k tk ldxkA fQjkrh d fy; fd; tku oky vijk/kk dk jkdu e vlQy jgu ij lEcfU/kr Fkkuk/;{k dk mld in l gVk;k tk ldxkA

19& fdlh Hkh vf/koDrk dk] tk jkT; ckj dkmfly e ithdr gk] fdlh Hkh ljdkjh foHkkx d dk;k dk dju dk Bdk vFkok iVVk Lohdr u fd;k tk;A

20& in'k e lxfBr vijk/k fu;=.k ikf/kdkjh d xBu ,o bl lEcU/k e foLrr fu;ek vkfn d ckj e vyx l fopkjkijkUr vkn'k fuxr fd; tk;xA

21& jkT; ckj dkmfUly e ithdr fdlh Hkh vf/koDrk dk Bdnkjh dh vuefr vf/koDrk vf/kfu;e e ugh gA vr% ;g lfuf'pr fd;k tk; fd dkb vf/koDrk ,lh Bdnkjh e ifrHkkx u dju iko tk jktdh; foHkkxk] lkotfud midek] Lok;Rr'kklh lxBuk] ikf/kdj.kk vkfn l lEcfU/kr gk] mud vkonu lh/k fujLr dj fn; tk;A

;fn Bdk@iVVk vkofVr gku d ckn Hkh ;g rF; lKku e vkrk g rk ,lk Bdk@iVVk rRdky fujLr dj fn;k tk;A

2- di;k mDr fun'kk dk dMkb l vuikyu lfuf'pr fd;k tk; rkfd jkT; d fodkl@fuek.k dk;k ij vkijkf/kd xfrfof/k;k dk dkb n"iHkko u iMA

Hkonh;]

¼ uohu pUn ckt ib ½
e[; lfpo

l[;k @¼1½@N%&i0&14&06 rnfnukdA

ifrfyfi%& mRrj in'k lfpoky; d leLr vuHkkxk dk mijkDrkulkj vko';d dk;okgh grA

vkKk l]

¼ lrh'k dekj vxoky ½
ie[k lfpo] xgA

HBS

महत्वपूर्ण

पत्रांक /मु0वि0अ0/परिवहन /हैण्डलिंग/1/2006

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त संभागीय खाद्य नियंत्राक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः जून, 2007

विषयः– **हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु ठेकेदारों का पंजीकरण।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु पंजीकरण की शर्ते संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। कार्यभार के आधार पर ठेकेदारों को अ, ब एवं स श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये पंजीकरण की कार्यवाही की जायगी। वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए आपके द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए मॉगी गयी निविदाओं को निरस्त करते हुए नये सिरे से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से संशोधित टेण्डर शर्तो के अनुरूप निविदायें आमंत्रित करते हुए ठेकेदारों की नियुक्ति के सम्बंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि परिवहन/हैण्डलिंग ठेकेदारों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही की जाय :–

1. पंजीकरण के लिए फर्म या कम्पनी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्रा तथा चरित्रा प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जो पंजीकरण हेतु आवेदन पत्रा प्राप्त होने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो। फर्म की स्थिति में ये दोनों प्रमाण पत्रा प्रत्येक भागीदार हेतु दिया जाना अनिवार्य होगा और कम्पनी के मामले में यह प्रमाण –पत्रा संस्था के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत व्यक्ति/प्राधिकारी के लिए होगा। पंजीकरण की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी,किन्तु चरित्रा प्रमाण पत्रा तथा निवास प्रमाण–पत्रा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के अन्तिम तिथि तक हर वर्ष दिया जाना आवश्यक होगा।

2. इच्छुक आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वयं हस्ताक्षरित हैसियत / चरित्रा प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्रा के बारे में पंजीकृत ठेकेदार को प्रति वर्ष इस आशय का शपथ पत्रा देना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये प्रमाण पत्रा में वर्णित सम्पत्ति पूर्ववत उनके स्वामित्व एवं अध्यासान में है और उनकी सम्पत्ति के मूल्य हैसियत प्रमाण पत्रा में वर्णित मूल्य से कम नहीं हुए है,किन्तु तीन वर्ष की अवधि के बाद उन्हें पुनः पंजीकरण के समय नया हैसियत प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

3. परिवहन तथा हैण्डलिंग ठेकेदार को पंजीकरण के पूर्व संक्षम प्राधिकारी द्वारा भागीदारी फर्म या कम्पनी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। (एकल स्वामी / व्यक्ति के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी)

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–पंजीकरण की शर्तें ।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के पत्रा संख्या 1782/29—6—2007—1 परि0/05 टी0सी0 दिनॉक 13 जून 07 के सन्दर्भ में।
2. वित्त नियंत्राक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग।
4. समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त।

<u>महत्वपूर्ण</u>

पत्राांक /मु0वि0अ0/परिवहन /हैण्डलिंग–1/2006

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त संभागीय खाद्य नियंत्राक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः जून, 2007

विषयः– **हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु टेण्डर शर्तों का निर्धारण।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं हेतु रिट याचिका संख्या 5153(एम0एस0)/05 भोला नाथ निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनॉक 12.7.06 में दिये गये निर्देशों तथा इस कम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्राांक 4435/छः–पु0–14–06–50 (7)/2006 दिनॉक 2.11.06 जो आपको इस कार्यालय के पत्रा संख्या 6426 दिनॉक 17.11.06 के द्वारा भेजा गया है, के परिप्रेक्ष्य में टेण्डर की पूर्व शर्तों में संशोधन करते हुए संशोधित टेण्डर की शर्तें संलग्न कर आप को प्रेषित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए आप के द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए मॉगी गयी निविदाओं को निरस्त करते हुए नये सिरे से संशोधित टेण्डर शर्तों के अनुरूप हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु निविदायें आमंत्रित करने तथा हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संशोधित टेण्डर शर्तो के अधीन आप द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

1– जिन ठेकों का मूल्य 1 लाख रूपये से अधिक हो उन्हें शासकीय वेबसाइट में उपलब्ध कराते हुए निविदा फार्म को इण्टरनेट के माध्यम से डाउनलोड करने एवं उन्हें ऑन लाइन (इलेक्ट्रानिकली) जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि टेण्डर प्रकिया में निविदादाताओं की अधिकाधिक संख्या हो। यह सुविधा वर्तमान में प्रयुक्त हो रही व्यवस्था के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से की जाय।

ऐसे ठेके जिनकी लागत रूपया 02 लाख या उससे अधिक की हो, से संबंधित सरकारी ठेकों अथवा निविदा को तब तक स्वीकार न किया जाय जब तक आयकर विभाग, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्रा निविदादाता के पक्ष में निर्गत न किया गया हो। इसी भाँति ऐसा कोई ठेका भी स्वीकार न किया जाय जब तब कि संबंधित ठेकेदार द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्रा प्रमाण–पत्रा एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त संबंधित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व एवं प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों संबंधी प्रमाण–पत्रा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किया जाय। इन

........2

प्रमाण–पत्राों को शासन द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप कमशः पी.डब्ल्यू.डी.–टी.–4 एवं पी.डब्ल्यू.डी.–टी.–5 में संबंधित पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी द्वारा अपने स्वयं के हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जायगा। संबंधित निविदादाता से एक स्वघोषणा शपथ–पत्रा भी संलग्न प्रारूप पी.डब्ल्यू.डी.–टी.–6 में प्राप्त किया जायेगा।

2– निविदा प्रपत्राों को खोलने की प्रकिया एवं कार्यवाही एक पूर्णतया सुरक्षित/केन्द्रीय स्थल यथा कलेक्ट्रेट में की जाय। निविदा प्रपत्राों को खोलने के समय संबंधित स्थल पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था हो जो न केवल वहां तैनात हो अपितु आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही करने में सक्षम एवं तैयार हो।

3– ठेकेदारों को प्रदान किये जाने वाले साल्वेन्सी (वित्तीय स्थिति)/चरित्रा सत्यापन की वर्तमान व्यवस्था उद्‌देश्यहीन हो गयी है। अतः ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति के आंकलन एवं उन्हें दिये जाने वाले चरित्रा प्रमाण पत्रा की और गहराई से जांच करने के उपरान्त ही ऐसे प्रमाण पत्रा दिये जायें। ऐसे प्रमाण

पत्रों को निर्गत करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति/संगठन से संबंधित पुलिस अभिलेखों का गहराई एवं सघनता से परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस निमित्त त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य प्रमाण पत्र निर्गत किये जायें उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त तथ्यों को छिपाने के प्रकरणों में भी यथोचित एवं कठोर कार्यवाही की जाय।

4— निविदा आदि से संबंधित समस्त सूचनायें सरकारी वेब—साईट पर उपलब्ध करायी जायें। इन वेब साइट्स पर काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं की सूची भी उपलब्ध करायी जाय ताकि ऐसे तत्वों के भविष्य में निविदा प्रपत्र भरने एवं ठेका देने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने से रोका जा सके।

5— अनेकों सम्भावित ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति/साल्वेन्सी सर्टीफिकेट प्रस्तुत किये जाते हैं। कई बार एक ही साल्वेन्सी सर्टीफिकेट का कई टेण्डरों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुछ प्रमाण पत्रों की विशेषज्ञ एजेंसी से समय—समय पर जांच करायी जानी चाहिए। इन साल्वेन्सी सर्टीफिकेट्स का बैंक एवं आयकर विभाग से भी पुष्टि करायी जानी चाहिये।

6— केन्द्रीयित रूप से ठेकों एवं ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति का विवरण इलेक्ट्रानिकली रखा जाना चाहिये जिससे इनकी पुष्टि एवं क्रास चेकिंग समस्त विभागों द्वारा की जा सके एवं विभिन्न प्रकार की निविदाओं को आसानी से कार्यान्वित कराया जा सके।

7— प्रत्येक सरकारी अनुबन्ध पत्र में इस आशय का एक कालम होना चाहिये जिसमें यह प्राविधानित हो कि किसी भी ठेकेदार को ठेका दे दिये जाने के बाद भी यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों, एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जाय।

8— प्रत्येक सरकारी ठेके की संविदा के अनुबंध पत्र में इस आशय का प्राविधान किया जाय जिसमें संबंधित ठेकेदार का ठेका अथवा पट्टा निरस्त करने की व्यवस्था उन परिस्थितियों में हो जब यह संज्ञान में आये कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकी दी गयी हो अथवा उन्हें संविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया हो फिर ऐसे अनुबंध को निरस्त कर पुनः

.........3

निविदा मांगने की व्यवस्था की जाय। जहां तक सम्भव हो निविदा के समय निविदादाताओं की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य न किया जाय और ई—मेल, रजिस्टर्ड डाक अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से निविदा बोली प्रेषित किये जाने की छूट हो।

9— यदि सम्भावित निविदादाता द्वारा इस आशय की शिकायत की जाय कि उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी है तब जिला प्रशासन के माध्यम से उसे उचित समय के लिये तुरन्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जाय एवं ऐसे प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर विवेचना व विधि सम्मत कार्यवाही करायी जाय।

10— किसी भी अधिवक्ता को जो राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो, किसी भी सरकारी विभाग के कार्यों को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत न किया जाय।

11— राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति अधिवक्ता अधिनियम में नहीं है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग न करने पावें जो राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि से संबंधित हो, उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायं। यदि ठेका/पट्टा आवंटित होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसा ठेका/पट्टा तत्काल निरस्त कर दिया जाय।

उक्त के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित '' प्रदेश में माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त '' विषयक पत्र संख्या— 4435/छः—पु—14—06750(7)/2006, दिनांक 02.11.06 (छायाप्रति संलग्न) में दर्शित मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं निर्देशों का समायोजन करते हुए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि संलग्न संशोधित टेण्डर शर्तों के परिप्रेक्ष्य में हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु निविदायें आमंत्रित करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः—यथोपरि।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के पत्रा संख्या 1782/29—6—2007—1 परि0/05 टी0सी0 दिनॉक 13 जून 07 के सन्दर्भ में।
2. वित्त नियंत्राक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग।
4. समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त।

कार्यभार के आधार पर ठेकेदारों को अ,ब,स श्रेणी में निम्नवत श्रेणीबद्ध करना उचित होगा।

क्र0	विषय	ए श्रेणी
01.	कार्य का विवरण	नियमित परिवहन तथा सीजनल तथा परिवहन (खरीफ क्रय) तथा अन्तर–जनपदीय परिवहन तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का परिवहन तथा समस्त हैण्डलिंग परिवहन
02.	वॉछित ट्रकों की सं0	पंजीकरण हेतु प्रस्तुत वाहनों की सूची का स्वामित्व अनिवार्य रूप से एकल स्वामी,भागीदार फर्म अथवा क0के नाम होना चाहिए और इस आशय का परिवहन विभाग के संक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि वे वर्तमान समय में उन्हीं के स्वामित्व में है। क0 फर्म अथवा एकल स्वामी द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि यह वाहन किसी अन्य ठेके अथवा विभाग में स्वयं किसी अन्य फर्म ,क0 अथवा व्यक्ति के माध्यम से कार्य हेतु प्रदर्शित नहीं किये गये है।
03.	पंजीकरण शुल्क	रू0 25,000 (पच्चीस हजार)
04.	अनुभव	भा0खा0नि0,खाद्य विभाग, अथवा सम्बद्ध क्रय एजेन्सियों में नियमित परिवहन हेतु कम से कम बी क्षेणी का 3 वर्ष का अनुभव तथा प्रतिवर्ष न्यूनतम 40 लाख का परिवहन कार्य।
5.	हैसियत	कम से कम 20,00000 (बीस लाख)
06.	आयकर प्रमाण पत्र तथा पैन / जी0आई0आर0	गत तीन वर्षो का अलग–अलग आयकर रिर्टन तथा आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र पैन की फोटों प्रति के साथ (व्यक्ति,फर्म क0 तथा सभी भागीदारों का अलग–अलग)
07.	अधिवास/निवास प्रमाण पत्र	व्यक्ति फर्म के एकलस्वामी अथवा भागीदारों ,कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र जो अधिकतम तीन माह पूर्व जारी हुआ हो । यह प्रमाण पत्र अवधि में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में पुनः देना होगा।
08.	चरित्र प्रमाण पत्र	कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/ अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझीदारों तथा एकल स्वामी एवं व्यक्ति/अभ्यर्थी के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास के जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो तीन माह से अधिक पुराना न हो तथा जो पंजीकरण अवधि में भी प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9.	अर्नेस्टमनी (निविदा के साथ)	कुल कार्य का न्यूनतम 2 प्रतिशत
10	टेण्डर/लाटरी	क्रय केन्द्रों तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विकास खण्डवार/केन्द्रवार अलग–अलग तथा अर्न्तजनपदीय कार्य हेतु दूरीवार (एक साथ) जिलाधिकारी दर के आधार पर टेण्डर की कार्यवाहीं की जानी चाहिए।

11	सेक्योरिटीमनी (निविदा स्वीकृत होने पर)	अनुबन्ध के पूर्व अनुमानित कार्य का 10 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीकृत बैंक की गारण्टी आदि के रूप में।
12.	शपथ पत्र	अनर्हता हेतु उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी /फर्म/क0 द्वारा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा जिसके गलत होने पर अथवा प्रस्तुत न होने पर पंजीकरण हेतु अभ्यर्थन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
		आढ़ती, गल्ला व्यापारी,मण्डी समिति/व्यापार कर के खाद्यान्न/ चीनी का लाइसेंसी ,सरकारी सस्ता गल्ला, चीनी, मिट्टी तेल विक्रेता, चावल मिल मालिक,उनके परिवारी जन तथा निकटतम सम्बंधी उक्त पंजीकरण के लिए अनर्ह होगें।
		पारिवारिक जन तथा निकटतम सम्बंधी अथवा भागीदार ऐसे ठेकेदार जिसका पूर्व में भा0खा0नि0,खाद्य विभाग अथवा सम्बद्ध क्रय एजेन्सी में पंजीकरण निरस्त अथवा निलम्बित हुआ हो अथवा ब्लैक लिस्ट हुआ हो के सहभागिता की फर्म या कम्पनी।
		खाद्य विभाग तथा किसी अन्य विभाग में कार्यरत ऐसा ठेकेदार जिसने उक्त ठेका किसी काला बजारी,अपराधी अथवा माफिया को उठाया (ैन्ठस्म्ज) हो अथवा इस आशय की पूष्टि जानकारी विभाग को प्राप्त हुई हो,उसे पंजीकरण हेतु अनर्ह माना जायेगा।

क्र0	विषय	बी श्रेणी
01.	कार्य का विवरण	सीजनल परिवहन,नियमित हैण्डलिंग तथा सीजनल हैण्डलिंग कार्य (खरीफ व रबी क्रय) परन्तु कुल कार्य की मात्रा रू0 5 लाख प्रति केन्द्र से कम हो।
02.	वॉछित ट्रकों की सं0	पंजीकरण हेतु प्रस्तुत वाहनों की सूची का स्वामित्व अनिवार्य रूप से एकल स्वामी,भागीदार फर्म या क0 के नाम होना चाहिए और इस आशय का परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि वे वर्तमान समय में उन्हीं के स्वामित्व में है। कम्पनी फर्म अथवा एकल स्वामी द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि यह वाहन किसी अन्य ठेके अथवा विभाग में स्वयं किसी अन्य फर्म, क0 अथवा व्यक्ति के माध्यम से कार्य हेतु प्रदर्शित नहीं किये गये है।
03.	पंजीकरण शुल्क	15,000 (पन्द्रह हजार रू0)
04.	अनुभव	भा0 खा0 नि0 अथवा सम्बद्ध क्रय एजेन्सियसें में कम से कम बी क्षेणी का 3 वर्ष का अनुभव तथा प्रतिवर्ष न्यूनतम रू0 5 लाख का परिवहन कार्य।
5.	हैसियत	कम से कम 10,00000 (दस लाख)
06.	आयकर प्रमाण	गत दो वर्षो। का अलग–अलग आयकर रिर्टन

	पत्र तथा पैन / जी0आई0आर0	तथा आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र पैन की फोटों प्रति के साथ (व्यक्ति,फर्म क0 तथा सभी भागीदारों का अलग–अलग)

07.	अधिवास/निवास प्रमाण पत्र	व्यक्ति फर्म के एकलस्वामी अथवा भागीदारों ,कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र जो अधिकतम तीन माह पूर्व जारी हुआ हो । यह प्रमाण पत्र अवधि में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में पुनः देना होगा।
08.	चरित्र प्रमाण पत्र	कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/ अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझीदारों तथा एकल स्वामी एवं व्यक्ति/अभ्यर्थी के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास के जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो तीन माह से अधिक पुराना न हो तथा जो पंजीकरण अवधि में भी प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9.	अर्नेस्टमनी (निविदा के साथ)	कुल कार्य का न्यूनतम 2 प्रतिशत
10	टेण्डर/लाटरी	क्रय केन्द्रवार तथा विकास खण्ड/केन्द्रवार अलग–अलग
11	सेक्योरिटीमनी (निविदा स्वीकृत होने पर)	अनुबन्ध के पूर्व अनुमानित कार्य का 10 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीकृत बैंक की गारण्टी आदि के रूप में।
12.	शपथ पत्र	अनर्हता हेतु उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी /फर्म/क0 द्वारा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा जिसके गलत होने पर अथवा प्रस्तुत न होने पर पंजीकरण हेतु अभ्यर्थन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
		(क)आढ़ती, गल्ला व्यापारी,मण्डी समिति/व्यापार कर के खाद्यान्न/ चीनी का लाइसेंसी ,सरकारी सस्ता गल्ला, चीनी, मिट्‌टी तेल विक्रेता, चावल मिल मालिक उनके परिवारी जन तथा निकटतम सम्बंधी उक्त पंजीकरण के लिए अनर्ह होगें।
		पारिवारिक जन तथा निकटतम सम्बंधी अथवा भागीदार ऐसे ठेकेदार जिसका पूर्व में भा0खा0नि0,खाद्य विभाग अथवा सम्बद्ध क्रय एजेन्सी में पंजीकरण निरस्त अथवा निलम्बित हुआ हो अथवा ब्लैक लिस्ट हुआ हो के सहभागिता की फर्म या कम्पनी।
		खाद्य विभाग तथा किसी अन्य विभाग में कार्यरत ऐसा ठेकेदार जिसने उक्त ठेका किसी काला बजारी,अपराधी अथवा माफिया को उठाया (न्ठस्म्ज) हो अथवा इस आशय की पूष्टि जानकारी विभाग को प्राप्त हुई हो,उसे पंजीकरण हेतु अनर्ह माना जायेगा।

क्र0	विषय	सी श्रेणी
01.	कार्य का विवरण	सीजनल हैण्डलिंग कार्य ,ऐसे केन्द्रों हेतु जहॉ पिछले सत्र
02.	वॉछित ट्रकों की सं0	वाहन की अनिवार्यता लागू नहीं है।

03.	पंजीकरण शुल्क	रू0 5,000 (पॉच हजार)
04.	अनुभव	भा0खा0नि0,खाद्य विभाग,सम्बद्ध क्रय एजेन्सी में न्यूनतम एक वर्ष या सीजन का अनुभव
5.	हैसियत	कम से कम 5,00000 (पॉच लाख)

06.	आयकर प्रमाण पत्र तथा पैन / जी0आई0आर0	गत एक वर्ष का अलग–अलग आयकर रिर्टन तथा आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र पैन की फोटों प्रति के साथ (व्यक्ति,फर्म क0 तथा सभी भागीदारों का अलग–अलग)
07.	अधिवास / निवास प्रमाण पत्र	व्यक्ति फर्म के एकलस्वामी अथवा भागीदारों ,कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र जो अधिकतम तीन माह पूर्व जारी हुआ हो । यह प्रमाण पत्र अवधि में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में पुनः देना होगा।
08.	चरित्र प्रमाण पत्र	कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक / अधिकृत व्यक्ति व फर्म के सभी साझीदारों तथा एकल स्वामी एवं व्यक्ति / अभ्यर्थी के स्थायी निवास तथा वर्तमान निवास के जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो तीन माह से अधिक पुराना न हो तथा जो पंजीकरण अवधि में भी प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9.	अर्नेस्टमनी (निविदा के साथ)	कुल कार्य का न्यूनतम 2 प्रतिशत
10	टेण्डर / लाटरी	क्रय केन्द्रवार तथा विकास खण्ड / केन्द्रवार अलग–अलग
11	सेक्योरिटीमनी (निविदा स्वीकृत होने पर)	अनुबन्ध के पूर्व अनुमानित कार्य का 10 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीकृत बैंक की गारण्टी आदि के रूप में।
12.	शपथ पत्र	अनर्हता हेतु उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी / फर्म / क0 द्वारा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा जिसके गलत होने पर अथवा प्रस्तुत न होने पर पंजीकरण हेतु अभ्यर्थन / पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
		(क)आढ़ती, गल्ला व्यापारी,मण्डी समिति / व्यापार कर के खाद्यान्न / चीनी का लाइसेंसी ,सरकारी सस्ता गल्ला, चीनी, मिट्टी तेल विक्रेता, चावल मिल मालिक उनके परिवारी जन तथा निकटतम सम्बंधी उक्त पंजीकरण के लिए अनर्ह होगें।
		पारिवारिक जन तथा निकटतम सम्बंधी अथवा भागीदार ऐसे ठेकेदार जिसका पूर्व में भा0खा0नि0,खाद्य विभाग अथवा सम्बद्ध क्रय एजेन्सी में पंजीकरण निरस्त अथवा निलम्बित हुआ हो अथवा ब्लैक लिस्ट हुआ हो के सहभागिता की फर्म या कम्पनी।
		खाद्य विभाग तथा किसी अन्य विभाग में कार्यरत

		ऐसा ठेकेदार जिसने उक्त ठेका किसी काला बजारी,अपराधी अथवा माफिया को उठाया ैं(न्ठस्म्ज) हो अथवा इस आशय की पुष्टि जानकारी विभाग को प्राप्त हुई हो,उसे पंजीकरण हेतु अनर्ह माना जायेगा।

टेंडर / अनुबन्ध की शर्तो

01. यदि आवंटन के सापेक्ष खाद्यान्न उपलब्ध होने पर अन्त्योदय अन्न योजना ,मिड डे मिल योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का शत–प्रतिशत उठान ठेकेदार द्वारा नहीं किया जाता है तो ठेकेदार का ठेका नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

02. खाद्यान्न व्यापारी,चावल मिलर (प्रोपाइटर व भागीदार जो मण्डी समिति व्यापार कर विभाग में पंजीकृत है) हैण्डलिंग व परिवहन कार्य के पंजीकरण एवं टेण्डर हेतु अर्ह नहीं होगें।

03. यदि बी0पी0एल0 योजना में खाद्यान्न/चीनी का शत प्रतिशत उठान खाद्यान्न उपलब्ध होने के पश्चात भी नहीं किया जाता है तो प्रथम बार 20,000 हजार एवं द्वितीय बार न उठाने पर जमानत की अवशेष/सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

04. विभाग में पंजीकरण के समय परिवहन ठेकेदारों द्वारा जो ट्रकों की सूची दी जाती है उनको खाद्यान्न परिवहन हेतु लगाने की बाध्यता रहेगी। आवंटन के सापेक्ष अधिक लगने वाली ट्रकें ठेकेदार बाजार से ले सकता है। परन्तु उसकी सूची सम्बन्धित जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि परिवहन में वे ट्रकें नहीं लगायी जाती है तो ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

05. एक बार पंजीकृत व्यक्ति को 3 वर्ष तक पंजीकृत माने जाने की व्यवस्था है,किन्तु ठेके की अवधि वार्षिक तथा सीजनल आधार पर की जाती है। 3 वर्ष की अवधि के अन्दर ठेकेदारों द्वारा की गई अनियमितता अथवा दुराचरण की जानकारी प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है ताकि उसका इस अवधि में समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता रहे एवं आवश्यकता पड़ने पर हटाया जा सके अथवा ब्लेक लिस्ट किया जा सके। अतः प्रत्येक वर्ष ऐसे ठेकेदारों के विषय में पुलिस अधीक्षक /जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।

6. परिवहन एवं हैण्डलिंग ठेकेदारी में पंजीकरण हेतु किसी एकल स्वामी,फर्म या कम्पनी को 3 वर्ष में एक बार पंजीकरण की सुविधा दी जाय। उक्त पंजीकरण के पूर्व प्रचार प्रसार किया जाय। सामान्यतः वार्षिक परिवहन की निविदायें मार्च में की जाती है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठेकेदारों का पंजीकरण जनवरी माह तक पूर्ण कर लिया जाय। उक्त हेतु सामान्यतया एक माह पूर्व समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की जाय। इच्छुक ठेकेदार को नियमों/शर्तों आदि की जानकारी कार्यालय द्वारा पंजीकरण प्रपत्रा (विक्रय के आधार पर) उपलब्ध कराया जाय। पंजीकरण का कार्य सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,सम्भागीय लेखाधिकारी,सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी तथा सम्बन्धित जिले के जिला खाद्य विपणन अधिकारी की समिति द्वारा किया जाय।

7. पंजीकरण के लिए फर्म या कम्पनी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जो पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो।फर्म की स्थिति में ये दोनों प्रमाण पत्र प्रत्येक भागीदार हेतु दिया जाना अनिवार्य होगा और कम्पनी के मामले में यह प्रमाण –पत्र संस्था के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकृत व्यक्ति/प्राधिकारी के लिए होगा। पंजीकरण की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी,किन्तु चरित्र प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण–पत्र प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के अन्तिम तिथि तक हर वर्ष दिया जाना आवश्यक होगा।

8. इच्छुक आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित हैसियत / चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में पंजीकृत ठेकेदार को प्रति वर्ष इस आशय का शपथ पत्रा देना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में दिये गये

प्रमाण पत्र में वर्णित सम्पत्ति पूर्ववत उनके स्वामित्व एवं अध्यासान में है और उनकी सम्पत्ति के मूल्य हैसियत प्रमाण पत्र में वर्णित मूल्य से कम नहीं हुए है,किन्तु तीन वर्ष की अवधि के बाद उन्हें पुनः पंजीकरण के समय नया हैसियत प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

9. पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों को भी नई व्यवस्था के अन्तर्गत औपचारिकता पूर्ण करके ठेका प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उक्त हेतु पुराने पंजीकृत ठेकेदारों को अवशेष अवधि के लिए पुनः पंजीकरण कराने से छूट दी जानी चाहिए किन्तु श्रेणीवार औपचारिकता पूर्ण करने हेतु नये पंजीकरण कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें भी अवसर देकर औपचारिकता पूर्णकराकर ही ठेके में भाग लेने का अवसर दिया जाय।

10. परिवहन तथा हैण्डलिंग ठेकेदार को पंजीकरण के पूर्व संक्षम प्राधिकारी द्वारा भागीदारी फर्म या क0 के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य किया जाय (एकल स्वामी / व्यक्ति के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी)

11. पूर्व में कार्यरत ठेकेदार द्वारा खाद्य विभाग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार,अपराध,मारपीट अथवा धमकी के आधार पर ठेकेदार को निश्चित अवधि हेतु निलम्बित करने की व्यवस्था भी लागू की जानी चाहिए।

13. जिलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठेका देने में किसी भी व्यक्ति,फर्म या कम्पनी को किसी भी दशा में आधे से अधिक केन्द्र आवंटित न किये जायें जिससे परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता का स्तर बनायें रखा जा सके।

14. जनपद के अन्दर संचरण के साथ–साथ रैक लोडिंग तथा अर्न्तजनपदीय संचरण हेतु सड़क परिवहन के दौरान अनुमन्य सीमा से अधिक क्षति के लिए भी परिवहन ठेकेदार को उत्तरदायी बनाया जाय।

15. विभाग में प्रचलित व्यवस्था में पंजीकरण के लिए अनुभव सम्बंधी विस्तृत विवरण नहीं दिये गये है। अतः विभिन्न कोटियों में पंजीकरण के लिए ठेकेदार के पास व्यापक अनुभव तथा उसके पास निर्दिष्ट कार्य हेतु पर्याप्त संरचनात्मक ढ़ाचा एवं उपकरण आदि उपलब्ध होने चाहिए। अतः बिना व्यापक अनुभव तथा संरचनात्मक हैसियत के ठेकेदारों का पंजीकरण न किया जाय।

(बसन्त लाल सिंह)
मुख्य विपणन अधिकारी।